प्रेषक

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त संयुक्त निदेशक(डी0एफ0एस0), उ0प्र0।
4– अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, बी0पी0 संस्थान, लखन
5– उपनिदेशक(प्रक्षेत्र), महानगर, लखनऊ।
6– संयुक्त निदेशक, रजिस्ट्रार, वेटनरी काउन्सिल, लखनऊ।
7– प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बी0के0टी0, लखनऊ।
8– संयुक्त निदेशक, वेटनरी गायना0/वेटनरी पैथाला0, उ0प्र0।
9– संयुक्त निदेशक, एनीमल न्यूट्रीनिस्ट पशु आहार प्रयोगशाला, लखनऊ।
10–संयुक्त निदेशक, संतति परीक्षण योजना, चकगंजरिया, लखनऊ।
11–अधीक्षक, पशुधन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया, लखनऊ।
12–सयुक्त निदेशक, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
13–संयुक्त निदेशक (डी0एफ0एस0), मंझरा, खीरी।
14–संयुक्त निदेशक, सघन भेंड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर।
15–संयुक्त निदेशक, फोरेंसिक लैब, मथुरा।
16– समस्त शाखा प्रभारी, प्रधान कार्यालय।
17– संयुक्त निदेशक, बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसोंड़ा, नौगढ़–चन्दौली।

संख्या 4250/स्था0–1/एक–क/15(27)/15–16, दिनांक 31-8-16

विषय : उ0प्र0 पशु चिकित्सा संघ के अधिवेशन/निर्वाचन में भाग लेने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–4033/स्था0–1, दिनॉक 12.8.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 पशु चिकित्सा संघ का अधिवेशन दिनॉक 07.9.2016 एवं 08.9.2016 को (02 दिवस) होने की स्थिति से अवगत कराते हुए अधिवेशन में भाग लेने हेतु पशु चिकित्साविदों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें उक्त अवधि में 02 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28.8.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान मे एच0एस0 टीकाकरण का अभियान संचालित है और लगभग 28 जनपदों में जलप्लावन एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, ऐसी स्थिति में पशु चिकित्साविदों को मुख्यालय छोड़ना उचित नहीं है। उ0प्र0 पशुचिकित्सा संघ के पत्र दिनांक 31.8.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 7.9.2016 एवं 8.9.2016 में आयोजित अधिवेशन को वर्णित उक्त स्थिति के दृष्टिगत स्थगित किये जाने में संघ को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः उक्त अपरिहार्यता के दृष्टिगत कार्यालय आदेश दिनॉक 12.8.2016 जिसके अन्तर्गत पशु चिकित्साविदों को दिनांक 7.9.2016 एवं 8.9.2016 को अधिवेशन में भाग लेने हेतु 02 दिवस का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया है को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

संख्या /स्था0–1 दिनांकित,

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष–महामंत्री, उ0प्र0 पशु चिकित्सा संघ, पशुपालन विभाग,उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि चुनाव/अधिवेशन की अग्रिम तिथि से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें जिससे आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।
2– कैम्प कार्यालय, निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लघु सिंचाई एवं पशुधन, उ0प्र0 सरकार।
4– प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा0राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास